न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर ऐक्ट, जौनपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–06/2026

रजिस्ट्रेशन नं०–559/2026

सी०एन०आर०–UPJP010016212026

लालचन्द्र गौतम उ०त० 26 वर्ष पुत्र कालीदीन, साकिन मौजा पूराबलई, थाना बदलापुर, जिला जौनपुर।

– आवेदक/अभियुक्त

–बनाम–

1–उ०प्र० राज्य जरिए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, जौनपुर।

–विपक्षी।

मु०अ०सं०–269/2025,
धारा–3(1)उ०प्र०गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986
थाना–मछलीशहर, जनपद–जौनपुर।

दिनांक–16.03.2026

1– आवेदक/अभियुक्त लालचन्द्र गौतम की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–269/2025, धारा–3(1)उ०प्र०गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986, थाना मछलीशहर, जनपद–जौनपुर के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।

2– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रेषित करते हुए कथन किया है कि पूरा अभियोजन कथानक फर्जी मनगढंत बनावटी अनुचित अशुद्ध असत्य संदेहयुक्त, भ्रमपूर्ण गलत तथ्यों पर आधारित है। आवेदक निर्दोष है, अध्यारोपित धारा के अपराध अभियोजन प्रपत्रों के सम्यक परिशीलन व अब तक संकलित साक्ष्यों के आधार पर नहीं गठित होते हैं तथा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक गैंग चार्ट में उल्लेखित किसी भी मुकदमे में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जनता का कोई साक्षी नहीं है। आवेदक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है और न ही किसी अपराधिक गिरोह का लीडर व सदस्य है। उसने किसी प्रकार की आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु कभी कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है। आवेदक के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में पुलिस उसे गलत ढंग से रंजिशन फंसाया है। गैंग चार्ट में उल्लेखित मामलों में उसकी जमानत हो चुकी है। आवेदक के पास से कोई बरामदगी नहीं है न ही जनता का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनाया गया है। सभी मुकदमे में आवेदक को पुलिस द्वारा एक ही क्रम में अभियुक्त बनाया गया है। गैंग चार्ट स्वीकृति हेतु वैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा फर्जी इनकाउंटर दर्शाया गया है। आवेदक कभी भी समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त नहीं रहा है और न ही भा०द०सं० के अध्याय 16 व 17 व 22 से सम्बन्धित अपराधों में लिप्त रहा है। आवेदक का कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिनांक 06.03.2026 से

Digitally signed by ROOPALI SAXENA
Date: 2026.03.16 16:16:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Jaunpur

जनपद कारागार में निरुद्ध है। आवेदक सम्मानित परिवार का सदस्य हैं। चल अचल सम्पत्ति का स्वामी है भागने की संभावना एकदम नहीं है। जब कभी माननीय न्यायालय आदेश करेंगे आवेदक समक्ष न्यायालय विवेचना अधिकारी उपस्थित रहेगा। आवेदक उचित जमानत मुचलका प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः प्रार्थी को उचित जमानत मुचलके पर रिहा किया जाने की याचना की गयी।

3– विद्वान विशेष लोक अभियोजक फौजदारी द्वारा अपराध को गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने की याचना किया है।

4– मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 01.09.2025 को मैं प्रभारी निरीक्षक विनीत राय मय हमराह सरकारी वाहन बोलेरो संख्या–यू०पी० 62 ए.जी.0417 से देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध वाहन/संदिग्ध व्यक्ति तलाश वांछित व अपराधियों की सूचना एकत्रित करने के उद्देश्य से क्षेत्र में भ्रमणशील था कि जनता के लोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि सचिन चौहान, अनिल कुमार रैदास, राजेश हरिजन, प्रभाकर सिंह उर्फ आशू, दीपू यादव, लालचन्द गौतम कालीदीन, एक शातिर किस्म के अपराधी है और इनका एक संगठित अपराधिक गैंग है। जो स्वयं एवं अपने गैंग के सदस्य के लिए भौतिक एवं आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु इस गैंग के सदस्य का कृत्य गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 2 ख की उपधारा 1 से आच्छादित है और वर्णित अपराधों को कारित करने के लिए अभयस्त अपराधी है। उपरोक्त गिरोहबन्ध अपराधियों का जनता में इतना भय व्याप्त है कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध न तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने का साहस कर पाता है और न ही न्यायालय में गवाही देने का सास कर पाता है। अभियुक्त सचिन चौहान उपरोक्त जो गैंग का लीडर है अपने सदस्यों के साथ अपने गैंग के भौतिक आर्थिक एवं दुनिगाबी लाभ हेतु लूट, बलात्कार, पुलिस पार्टी पर प्राण घातक हमला जैसे गम्भीर अपराध कर समाज में भय एवं दहशत तथा आतंक पैदा कर धनोपार्जन में व्यापक स्तर पर लिप्त है। अभिलेख के अवलोकन से उनके विरूद्ध निम्न अभियोगों मु०अ०सं०–256/2023 धारा 392, 411 भा०द०सं०, व मु०अ०सं०–287/2023 धारा 394, 411 भा०द०सं०, व मु०अ०सं०–296/2023 धारा 307,467 भा०द०सं०, मु०अ०सं०–305/2023 धारा 392,411 भा०द०सं०, व मु०अ०सं०–307/2023 धारा 376 डी, 343, 506 भा०द०सं० एवं मु०अ०सं०–309/2023 धारा 307,411,419,420,34 भा०द०सं० पंजीकृत किया गया जिसमें गिरोह के सभी सदस्यों के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त गिरोह अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है और गैंग लीडर सचिन चौहान का एक संगठित गिरोह है जो दुनियावी, आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16, 17 एवं 19 में वर्णित अपराध कारित करने के अभ्यस्त अपराधी है। इस गैंग के लीडर सचिन चौहान द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर प्राणघातक हमला, व राहगीरो के चलते मोटरसाईकिल की छिनैती व रूपया व गहने लूटने एवं बलात्कार करने जैसे गम्भीर अपराध करते हैं और लाभांश को सभी आपस में बांट लेते हैं। यह गिरोह समाज विरोधी क्रियाकलाप में सक्रिय है। गैंग लीडर व सदस्यों का आम जनमानस में आतंक व भय व्याप्त है, जिसके कारण इनके विरूद्ध आम जनमानस का कोई व्यक्ति थाने पर सूचना देने, न्यायालय में गवाही देने को तैयार नहीं होते है। इस गैंग के सरगना व सदस्य भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 16 व 17 के अंतर्गत वर्णित अपराध कारित करने के अभ्यस्त अपराधी है, जो कि उ० प्र० गिरोह बन्द समाज विरोधी कियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2(ख) की उपधारा(1) से आच्छाछित है तथा उ० प्र० गैंगेस्टर एक्ट की धारा 3(1) के अंतर्गत दण्डनीय है।

6– मामला उ०प्र० समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से संबंधित है, जिसकी धारा–19 ऐसे मामलों में जमानत के बारे में निम्नवत प्रावधान करती हैः–

गिरोहबन्द अधिनियम के तहत अपराध अधिनियम की धारा–2 में वर्णित खण्डों के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए ही निर्मित किया जा सकता है। साथ ही साथ गिरोहबन्द अधिनियम का अपराध तभी कारित होगा, जब वह दो उद्देश्यों, अर्थात लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने के लिए अपराध करने पर तथा कोई अनुचित दुनियावी, भौतिक, आर्थिक या अन्य कोई लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास, या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से धारा–2(ख) में उल्लिखित आपराधिक कृत्यों में से कोई भी कृत्य करे।

19. संहिता के कतिपय प्रावधानों का संशोधित अनुप्रयोग.–(1) संहिता में निहित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध धारा के खंड (ग) के अर्थ के अंतर्गत संज्ञेय अपराध माना जाएगा। संहिता के 2 और उस खंड में परिभाषित संज्ञेय मामला तदनुसार माना जाएगा।

(2) .....

(3).....

(4) संहिता में निहित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के तहत दंडनीय अपराध का अभियुक्त कोई भी व्यक्ति, यदि हिरासत में है, तब तक जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र पर रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि––

(ए) लोक अभियोजक को इस तरह की रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है, और

(बी) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, न्यायालय संतुष्ट है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

(5) उप–धारा (4) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमाएँ संहिता के तहत सीमाओं के अतिरिक्त हैं।

इसी अधिनियम की धारा 3 ऐसे मामलो में कम से कम दो वर्ष तथा अधिक से अधिक दस वर्ष के कारावास से दण्डित किये जाने का प्रावधान करती है।

7– विधि व्यवस्था Anil Singh vs. State of U.P. 2008 (61) ACC 920 में कहा गया है कि **Bail–Offence under section 3(1) of up gangester act– Bail Should be granted only when there are reasnable grounds for believing that the accused is not guilty.**

निश्चित तौर पर इस अधिनियम के अंतर्गत दी गयी विधि व्यवस्थाएँ देखने से स्पष्ट है कि इसमें जमानत प्रदान करने हेतु कठिन शर्तें अधिरोपित की गयी हैं।

8– उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार मामले की विवेचना करने से स्पष्ट है कि मामले में गैंग लीडर सचिन चौहान सहित 6 व्यक्तियों को मुल्जिम बनाया गया है। गैंग चार्ट के अनुसार सचिन चौहान उक्त गैंग का लीडर है। आवेदक/अभियुक्त लालचन्द्र गौतम व सदस्यगण अनिल कुमार रैदास, राजेश हरिजन, प्रभाकर सिंह उर्फ आशू व दीपू यादव को भी मुल्जिम बनाया गया है। गैंग चार्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त लालचन्द्र गौतम के विरूद्ध मु० अ० सं०–256/2023, अंतर्गत धारा 392, 411 भा०द०सं० व मु०अ०सं०–307/2023 धारा 376 डी, 343, 506 भा०द०सं०, 3(2)5 एस.सी./एस.टी.ऐक्ट, थाना मछलीशहर, जिला जौनपुर एवं मु०अ०सं०–309/2023 धारा–307, 411,

419, 420, 34 भा०द०सं० थाना मुगराबादशाहपुर में दर्ज है। उक्त मुकदमा आम जनता के लोगों की मोटरसाईकिल की चोरी करने, धोखाधड़ी करने व रूपये व जेवरात की लूट करने तथा पुलिस पार्टी पर प्राणघातक हमला करने एवं रूपये की बरामदगी करने से सम्बंधित है। जिनके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त पर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मोटरसाईकिल की चोरी करने एवं जेवरात व रूपये की लूट करने, धोखाधड़ी करने तथा पुलिस पार्टी पर प्राण घातक हमला करने जैसे गम्भीर अपराध करने का आरोप है। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में उपरोक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त के पुनः अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने की पूर्ण सम्भावना विद्यमान है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बिना गुणदोष पर विचार व्यक्त किये अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त लालचन्द्र गौतम द्वारा मु०अ०सं०–269/2025, धारा–3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट, थाना मछलीशहर, जनपद–जौनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

<u>दिनांकः–16.03.2026</u>

(रूपाली सक्सेना)
अपर सत्र न्यायाधीश पंचम/
विशेष न्यायधीश गैंगेटस्टर ऐक्ट
जौनपुर।
जे०ओ० कोड–यू०पी० 1524